



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 34601/2019

कुंवर सहिष्णु सिंह

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा अपर प्रमुख सचिव, वन संरक्षण एवं एक अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – प्रियंका सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

न तो याचिकाकर्ता और न ही भारत संघ के अधिवक्ता उपस्थित हैं।

वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष का अनुरोध करते हुए दायर की गई है:-

"क) सीआईटीईएस (CITES) के अधिदेश को लागू करने के लिए इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने हेतु परमादेश

रिट या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें; और

ख) वर्तमान विदेशी पालतू जानवरों का डेटाबेस बनाने सहित विदेशी प्रजातियों/पालतू जानवरों के घरेलू व्यापार

और रखे जाने को विनियमित करने के लिए उचित कदम उठाने हेतु परमादेश रिट या कोई अन्य रिट, आदेश या

निर्देश जारी करें; और

ग) सक्षम अधिकारियों द्वारा विदेशी जानवरों को विनियमित करने वाली विधि बनाए जाने तक विदेशी पालतू जानवरों

या उनके मालिकों/रखने वालों के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से प्रतिवादियों को प्रतिबंधित करने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हेतु परमादेश रिट या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें; और"

यदि कोई हेतुक है, तो याचिकाकर्ता संबंधित विपक्षीगण से आवेदन/प्रत्यावेदन के माध्यम से संपर्क करें, जिस पर उनके द्वारा विधि के अनुरूप विचार किया जा सकता है और समुचित निर्णय लिया जा सकता है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने आदेश दिनांक 12.12.2019 का अनुपालन नहीं किया है।

रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

20 फरवरी, 2026

आशीष

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)